प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 22.08.2024

धोखाधड़ी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक शाहपुर के नेतृत्व उ0नि0 अभय पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 309/24 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 भा0द0वि0 व मु0अ0स0 308/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त नन्द प्रसाद गुप्ता पुत्र बालदेव प्रसाद निवासी जंगल मातादीन शिवपुर सहबाजगंज दाल मील के पीछे पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा व वादिनी मुकदमा द्वारा थाना शाहपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त कुंदन गुप्ता पुत्र नन्दप्रसाद गुप्ता द्वारा अपने आवास म0नं0-24 आई जंगल मातादीन पादरी बाजार शिवपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को आरकेआर करे इण्डिया निधि लि0 का पंजीकृत कार्यालय बताते हुए स्वयं तथा रिंकी गौतम व रीना गोस्वामी को आरकेआर करे इण्डिया लि0 का निदेशक बताते हुए उक्त कम्पनी में पैसा निवेश किये जाने की दशा में मात्र 15 माह में जमा/निवेश की गई धनराशि को शेयर ट्रेडिंग, जमीन व गोल्ड में निवेश कर मात्र 15 माह में उक्त धनराशि दुगुना करने की गारण्टी दी गई । जिसके पश्चात् वादी द्वारा दिनांक 14.12.2020 को 6,00.000/- (छः लाख रूपये) उपरोक्त आरकेआर करे इण्डिया निधि लि0 में दिनांक 14.03.2022 तक के लिए निवेश/जमा किया गया, जिसके पश्चात् उपरोक्त कुंदन गुप्ता व अन्य निदेशकों के द्वारा 12,00,000/- (बारह लाख रूपये) परिपक्वता/धनराशि का एक बाण्ड वादी को दिया गया । इसी प्रकार वादी की पत्नी से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) दिनांक 24.03.2020 को जमा कराते हुए दिनांक 24.06.2021 को 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) का परिपक्वता बाण्ड तथा दिनांक 12.01.2021 को एक अन्य महिला से 50,000/- (पचास हजार रूपये) लेकर एक एफडी बाण्ड दिनांक 12.01.2021 को जारी कर परिपक्वता तिथि दिनांक 12.01.2022 को 86,000/- (छियासी हजार रूपये) मेच्योरिटी धनराशि व 24,000/- (चौबीस हजार रूपये) एक्सट्रा बोनस दिये जाने का कथन करते हुए अन्य कई लोगों से करोड़ो रूपये जमा करा लिया गया। इसी प्रकार वादिनी मुकदमा ने दिनांक 04.02.2020 को 35000 नगद रू0 खाते से निकाल कर 12 माह के लिए निवेश किया और कम्पनी के अभिकर्ता नन्द प्रसाद गुप्ता व निर्देशक कुन्दन गुप्ता द्वारा वादिनी को परिपक्वता तिथि दिनांक 04.02.2021 को 50000/- रूपये का एक परिपक्वता बाण्ड भी दिया गया । नगद 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) 15 माह के लिए उक्त कम्पनी में निवेश कर दिया । दिनांक 13.02.2022 को परिपक्वता धनराशि 700000/ (सात लाख रूपये) एवं परिपक्वता तिथि दिनांक 30.04.2022 को परिपक्वता धनराशि रूपये 300000/- (रूपये तीन लाख) दिया गया। परिवक्वता

समयावधिक पूर्ण होने पर जब वादिनी नन्द प्रसाद गुप्ता के पास गयी तो परिपक्वता बाण्ड मूल प्रति जमा करा लिये एवं दिनांक 11.03.2021 को वादिनी के खाते में कुन्दन गुप्ता के खाते से 50000 रूपये का भुगतान भी करवा दिया और विश्वास दिलाते कहा कि अन्य निवेश के जो मूल्य परिपक्वता बाण्ड आपके पास है हमारे पास जमा कर दीजिए सभी भुगतान समय से आपके खाते में चले जायेंगे। नन्द प्रसाद गुप्ता के कहने पर वादिनी ने शेष दोनों परिपक्वता बाण्ड क्रमशः 700000 /- (सात लाख रूपये) व 300000 /- रूपये (तीन लाख रूपये) अभिकर्ता के पास जमा कर दिया। किंतु परिपक्वता तिथि पर पैसे खाते में नहीं आया। उक्त धोखाधड़ी के सम्बन्ध में उपरोक्त आवेदकों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

नन्द प्रसाद गुप्ता पुत्र बालदेव प्रसाद निवासी जंगल मातादीन शिवपुर सहबाजगंज दाल मील के पीछे पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1.मु2024/308 0स0अ0 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 भा0वि0द0 थाना शाहपुर गोरखपुर

2.मु309 0स0अ0/24 धारा 419,420,467,468,471,406 भा0वि0द0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक जयन्त कुमार सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 अभय पाण्डेय चौकी प्रभारी मोहनापुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
3. हे0का 0अनिल कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।